**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1997**

**जिसका उत्‍तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है**

**e/; izns'k esa fo|qr la;a=ksa dks dks;ys dh vkiwfrZ**

**1997 Mkñ lR;ukjk;.k tfV;k %**

D;k **dks;yk ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

**¼d½** e/; izns'k dks vius fo|qr la;a=ksa ds fy;s vf/kd ÅtkZ {kerk dk fdruk dks;yk pkfg;s(

**¼[k½** jkT; ls] Lons'kh lzksrksa ls rFkk vk;kfrr dks;ys dh vkiwfrZ RkFkk blds ewY;ksa dk C;kSjk D;k gS( vkSj

**¼x½** D;k jkT; ds fo|qr la;a=ksa ds fy, jkT; ls gh ekud Js.kh ds dks;ys dh vkiwfrZ dh tk,xh vkSj ;fn gka] rks blds fy;s fd;s tkus okys mik; D;k gSa\

**उत्‍तर**

**कोयला, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क)तथा(ख):** देश में विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति द्विपक्षीय ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) / समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अधीन निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार कोल इंडिया लि0(सीआईएल) स्रोतों से अधिसूचित कीमत पर की जाती है । सीआईएल स्रोतों से मध्‍य प्रदेश के तापीय विद्युत संयंत्रों(टीपीपी) के लिए वार्षिक एफएसए प्रतिबद्धता 39.43 मिलियन टन की है । पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष में मध्‍य प्रदेश के तापीय विद्युत संयंत्रों को एफएसए/एमओयू प्रतिबद्धता के प्रति कोयला प्रेषण के ब्यौरे निम्‍नवत हैं:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (मिलियन टन में ) | | | |
| वर्ष | एफएसए/एमओयू प्रतिबद्धता | प्रेषण | प्राप्‍ति % |
| 2012-13 | 32.58 | 33.17 | 102% |
| 2013-14 | 35.56 | 32.11 | 90% |
| 2014-15 (जून, 2014 तक ) | 9.86 | 7.94 | 81% |

विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की कमी को पूरा करने के उद्देश्‍य से वर्ष 2014-15 के दौरान मध्‍य प्रदेश जनरेशन कंपनी लि0(एमपीजीसीएल) को 1.50 मि.ट. कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है । अप्रैल- जून, 2014 की अवधि के दौरान 0.38 मि.ट. के यथा लक्ष्‍य की तुलना में एमपीजीसीएल ने 0.14 मि.ट. अर्थात लक्ष्‍य का 36 प्रतिशत आयात किया है ।

स्‍वदेशी पिटहेड रन-ऑफ-माइन गैर-कोकिंग कोयले की कीमत सकल कैलोरिफिक मूल्‍य (जीसीवी) के आधार पर कोयले की गुणवत्‍ता तथा इसके अन्‍त्‍य उपयोग को देखते हुए अलग-अलग खानों में भिन्‍न – भिन्‍न है । मूल्‍य 400 रूपए प्रतिटन (2200-2500 किलो कैलोरी/किलोग्राम के जीसीवी के लिए) से 4870 रूपए प्रति टन (6700-7000किलो कैलोरी/किलोग्राम के जीसीवी के लिए) के बीच होती है । 7000 किलो कैलोरी/ किलोग्राम से अधिक जीसीवी के लिए प्रत्‍येक 100 किलो कैलोरी/किलोग्राम अथवा उसके भाग के लिए मूल्‍य में 150 रूपए प्रति टन की वृद्धि होती है ।

पिछले छ: महीनों के लिए आयातित कोयले का प्रति टन मूल्‍य {आरगस एवं पीटी कोलइंडो (एफओबी कालीमंटन) द्वारा आकलित इंडोनेशियाई कोयला सूचकांकों से लिया गया अंतर्राष्‍ट्रीय कोयला मूल्‍य } नीचे दिया गया है :-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **यूएसडी/एमटी में कोयले का प्रकार (किलो कैलोरी/किलोग्राम में जीसीवी )** | | | | |
|  | **जीसीवी 6500** | **जीसीवी  5800** | **जीसीवी  5000** | **जीसीवी  4200** | **जीसीवी  3400** |
| जनवरी, 2014 | 83.22 | 71.05 | 57.54 | 38.75 | 27.43 |
| फरवरी, 2014 | 80.41 | 70.13 | 57.12 | 38.83 | 26.51 |
| मार्च, 2014 | 78.32 | 68.41 | 56.30 | 38.19 | 25.63 |
| अप्रैल, 2014 | 77.44 | 67.95 | 55.67 | 37.42 | 25.30 |
| मई, 2014 | 77.09 | 68.55 | 56.04 | 37.59 | 25.28 |
| जून, 2014 | 76.29 | 66.67 | 54.91 | 37.49 | 25.00 |

**(ग):** चूंकि सीआईएल के कोयला संसाधन देश के आठ राज्‍यों में स्‍थित हैं और उन्‍हें सभी राज्‍यों के कोयले की आवश्‍यकताओं को पूरा करना अपेक्षित है, इसलिए एक विशेष राज्‍य से उत्‍पादित कोयला केवल उसी राज्‍य के उपभोक्‍ताओं को आवंटित करना हमेशा संभव नहीं होगा । तथापि, मध्‍य प्रदेश के विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति अधिकतम सीमा तक मध्‍य प्रदेश के भीतर उत्‍पादित कोयले से की जाती है और छत्‍तीसगढ़, महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश और झारखण्‍ड में स्‍थित कोयला स्रोतों से भी की जाती है ।

**------**